ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial discharge into river Ganga

*181. SHRI BHUPENDER YADAV: Will the Minister of WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION be pleased to state:

(a) whether the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 are adequate to deal with industrial discharge into river Ganga; and

(b) if not, the remedial steps Government proposes to take?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SUSHRI UMA BHARATI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Central Pollution Control Board, constituted under the Water Act,1974 has been empowered with the provisions of the section 5 of Environment (Protection) Act,1986, to discharge the duties for prevention and control of pollution and which reads as follows:

> "In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act,1986, the Central Government hereby delegates the powers vested in it under Section 5 of the said Act to the Chairman, Central Pollution Control Board, the power to issue directions to any industry, municipal corporation, municipal council, cantonment board or any local or other authority for the violations of the notified general emission and effluent standards under the Environment (Protection) Rules,1986, and other standards, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself invoke the provisions of Section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action in necessary in the public interest."

CPCB, by exercising its power vested above, issues directions to the industrial units who were found discharging the effluent not conforming to the standards and seriously violating the discharge norms as notified under the Environmental (Protection) Act, 1986.

The Act does not empower CPCB and any other authority to impose any financial penalty as per the concept of "Polluters Pay Principle". Remedial steps in this regard are under consideration of the Government.

श्री भुपेंद्र यादवः सर, मेरा सप्लिमेंट्री क्वैश्चन यह था कि सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है? माननीया मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब के अंतिम पैरे में लिखा है, "इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य किसी प्राधिकरण को 'प्रदूषक द्वारा भुगतान करने के सिद्धांत' की संकल्पना के अनुसार किसी प्रकार का वित्तीय जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा इस संदर्भ में सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है।" लेकिन, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि सुधारात्मक उपाय क्या हैं? गंगा के संबंध में हम यह मानते हैं कि गंगा केवल निर्मल नहीं होनी चाहिए, बल्कि गंगा अविरल भी रहनी चाहिए। उसका सतत् प्रवाह भी पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ाता है। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों को और विचारों को अगर वह स्पष्टता से बताएँगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

सुश्री उमा भारतीः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न के दो हिस्से हैं, जिनमें से एक का हमने आगे उत्तर दिया है और वह प्रश्न यह है कि हम सुधारात्मक उपायों की दिशा में कुछ निर्णय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वे विचार क्या हैं? दूसरा यह है कि निर्मलता को बनाए रखने के साथ-साथ क्या हम अविरलता के बारे में भी विचार कर रहे हैं? इस संबंध में जल संसाधन मंत्रालय में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें अन्य संबंधित विभाग हैं। वह समिति एक ऐसे ऐक्ट पर विचार कर रही है जो समग्रता के साथ गंगा और उसकी सहयोगी नदियों का समाधान कर सके, जिनका प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय में भी एक पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो इस बात पर विचार कर रही है कि पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित अभी तक के जितने भी ऐक्ट्स हैं, उनको भविष्य में प्रभावी तरीके से किस प्रकार लागू किया जाए। इस प्रकार, इसके लिए ये दो समितियां बनी हैं और ये दोनों बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। यह मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। दूसरा, उन्होंने यह प्रश्न किया है...

श्री सभापतिः आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए।

सुश्री उमा भारतीः सभापति महोदय, उन्होंने दूसरा सवाल पहले ही पूछ लिया था।

श्री सभापतिः उन्होंने दोनों सवाल एक साथ ही पूछ लिए?

सुश्री उमा भारतीः जी हां, एक साथ ही पूछ लिए।

श्री सभापतिः तो फिर इसके बाद दूसरा सवाल नहीं होगा।

श्री भुपेंद्र यादवः सर, मेरा एक ही सवाल हुआ था, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः न, न, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... देखिए, एक का जवाब आ गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुपेंद्र यादवः सर, मैंने दूसरा सवाल पूछा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः अब आप उनका दूसरा सवाल सुन लीजिए।

श्री भुपेंद्र यादवः सर, मैंने जो प्रश्न किया था, उसमें मैंने कहा था कि सुधारात्मक उपायों पर जो विचार किया जा रहा है, उसमें सुधारात्मक उपायों की समय-सीमा के साथ-साथ अविरलता और निर्मलता का भी प्रश्न है, जो कि मूल गंगा का प्रश्न है कि गंगा अविरल बहनी चाहिए और गंगा निर्मल भी रहनी चाहिए। तो उस संबंध में क्या व्यापक रणनीति है, क्या योजना है, क्या समय-सीमा है? यह मेरा मूल प्रश्न था, सर।

सुश्री उमा भारतीः माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, अब मैं उसी प्रश्न के दोबारा पूछे जाने पर इस संबंध में थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ। निर्मलता के बारे में मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमने सितम्बर, 2014 में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर गंगा के किनारे की सभी 764 औद्योगिक इकाइयों की — जिसमें काली और रामगंगा, जो कि गंगा को प्रदूषित करने वाली मुख्य दो नदियां हैं, उनके किनारे के उद्योगों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनसे हमने चर्चा की थी। उसके बाद, हमने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है।

सभापति महोदय, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है, वह उनका एक स्वतंत्र संगठन है। उनसे हमने कहा है कि वे 31 मार्च तक उन उद्योगों पर एक मॉनिटरिंग प्रणाली को लागू करें ताकि यह पता चल सके कि कितनी औद्योगिक इकाइयां किस प्रकार से प्रदूषण कर रही हैं। फिर हमने यह तय किया है कि 2016 तक इन पर कार्रवाई होगी और जो इकाइयां हमारे निर्देशों का पालन करके चलेंगी, उनको — और जो इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उन इकाइयों को बन्द करने का फैसला लेने तक की स्थिति अभी तक के जो existing Acts हैं, उनके अंतर्गत लिया जा सकता है। यह निर्मलता के बारे में हमारा फैसला है। जब हमने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों की बैठक बुलाई थी, तो उसमें भी हमने स्पष्ट कहा था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको निर्देश दिया है कि गंगा और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं, वे पूर्णतया प्रदूषणमुक्त होनी चाहिए। इसलिए इस बारे में हमने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया। इसके अलावा, उन्होंने जो दूसरा प्रश्न अविरलता के बारे में पूछा है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि अभी तक जल की शुद्धता के संबंध में पूरे संसार में जो विचार हुआ है, उसमें अविरलता का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिवों की एक समिति बनी है, जिसमें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सैक्रेट्री जिसके सदस्य हैं और किस नदी में कितना प्रदूषण है और उस प्रदूषण से संघर्ष करने के लिए उस नदी का वेग कितना होना चाहिए, इसके बारे में वे आई.आई.टी. कंसोर्टियम, चतुर्वेदी कमेटी और रवि चोपड़ा कमेटी जिन्होंने पूरी तरह से गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का अध्ययन किया हुआ है, उसके निष्कर्षों के आधार पर हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद में अविरलता के बारे में जो फैसला होगा, वह हम तय करेंगे।

श्री शरद यादव : सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अलकनंदा पर लाटा-तपोवन में 171 मेगावाट, यह हिमालय के भीतर है। विष्णुगाड-पीपलकोटी 444 मेगावाट, अलकनंदा-बद्रीनाथ 300 मेगावाट, सिंगोली-भटवाड़ी 99 मेगावाट, फाटा-ब्युंग 77 मेगावाट और कोटलीभेल आदि पर 1000 मेगावाट, लखवाड-व्यासी पर 420 मेगावाट, पिंडर पर देवसारी 250 मेगावाट, ये इतनी योजनाएं हैं। सर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गंगा के

मुहाने पर ही यह कच्चा पहाड़ है हिमालय, और इन सारे मामलों में जो एन्वॉयरमेंट डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह कलाबाजी कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि गंगा के बारे में आप कितने गंभीर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड से जो अधिकांश नदियां हैं, इनके अंदर जो बांध बंध रहे हैं, वे सब के सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। मैं माननीया मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार एफिडेविट बदलने का काम किया है। यह ठेकेदार और पैसे वालों के दवाब में आप लोग इन सब चीजों में लगे हुए हैं और यह जो आपका एन्वॉयरमेंट का तरीका है, आपका वकील वहां खड़ा होता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि यह एक फीसदी बिजली है पूरे देश की। क्यों इस देश का नाश कर रहे हो, क्यों गंगा का सर्वनाश कर रहे हो, क्यों उसको पेट में ही जन्म से पहले ही मार देने का काम कर रहे हो? इस पर मैंने पहले भी आपसे पूछा था और यह आपके हाथ में नहीं है। इसमें इतनी मिनिस्ट्रीज़ हैं और इसमें एन्वॉयरमेंट मिनिस्ट्री भी है, अभी यहां हैं नहीं एन्वॉयरमेंट मिनिस्टर। लेकिन आपको यह सवाल गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो इस देश का बहुत सर्वनाश होगा।

सुश्री उमा भारती : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह पूरे देश की चिंता है जो उन्होंने अपने सवाल के द्वारा व्यक्त की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा से एक कमेटी बनी, जो इस पर विचार कर रही है तथा उन्होंने अपने विचार भेज दिए हैं। अब वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिसमें हमारे मंत्रालय के संबंधित विभागों के सी.डब्ल्यू.सी. के भी कुछ अधिकारीगण उसमें थे और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नामित भी थे। वे पॉवर प्रोजेक्ट जिनका नाम माननीय सांसद जी ने लिया है, उन सभी के बारे में एक ओपिनियन मांगी गई है। वह ओपिनियन हमने माननीय न्यायालय के सामने पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की है। उसमें हमने अपने मंत्रालय की राय भी व्यक्त की है। उस राय के बाद में यह पूरा का पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता में सम्मिलित हूं और उसके लिए पूरा देश चिंतित है और समाधान के लिए हमारी तरफ से जो निष्कर्ष देने थे, वे हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं।

श्री शरद यादव : सर, मेरा ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : इसमें डिस्कशन नहीं होगा शरद जी, दूसरे सवाल भी हैं, प्लीज।

श्री शरद यादव : आप प्रोटेक्ट करिए, आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए। यह ऐसा सवाल नहीं है, यह गंगा का सवाल है जिसमें 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मैं माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफेडेविट दिए जा रहे हैं, वे बदले जा रहे हैं। कोर्ट ने ही इस पर स्टे लगाया था। उत्तराखंड में जो बड़ी भारी त्रासदी आई थी, उसके बारे में सोचा गया था। इस बारे में कमेटी ने रिपोर्ट भी दी हुई है। इसलिए यह अकेले आपका मामला नहीं है, गंगा का मामला एन्वॉयरंमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित है। आपको यह कहना चाहिए कि एन्वॉयरमेंट मिनिस्ट्री को आप यह कन्वे करेंगी।

सुश्री उमा भारती : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उनकी चिंता बहुत गंभीर है। मैंने कहा है कि उनकी भावना देश की भावना को व्यक्त करती है। हमारे प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम गंगा को अविरल और

निर्मल कर के दिखाएंगे। माननीय सदस्य ने जिन पॉवर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया हैं, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि यह मसला अधिकतर पर्यावरण मंत्रालय के पास है, लेकिन हम मिलकर तय करते हैं। हमारी सरकार में माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश हैं कि हम मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। इस बारे में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की है और उनके सामने पूरा मसला विचाराधीन है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह कह सकती हूं कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और मंत्री की हैसियत से मैं स्वयं इस बात के लिए संकल्पबद्ध हूं कि हम गंगा को निर्मल व अविरल कर के दिखाएंगे।

श्री नरेश अग्रवाल : महोदय, यह हम लोगों की स्टेट से भी जुड़ा मामला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : यह मामला बहुत सी स्टेट्स से जुड़ा हुआ है। ...**(व्यवधान)**... One minute please. ...*(Interruptions)*... Nareshji, please. Let me rotate the questions. Be fair to other Members of the House. Now, Shri Bandyopadhyay.

SHRI D. BANDYOPADHYAY: Sir, it is a strange situation. The polluters pollute the river and the taxpayers pay for its cleaning. My question is: Will the Government consider amending the law to make the polluters bear the whole or at least substantial part of the cost?

सुश्री उमा भारती : माननीय सभापति महोदय, 1985 से गंगा एक्शन प्लान-I, गंगा एक्शन प्लान-II, फिर 2009 में गंगा एक्शन अथॉरिटी और अब नमामि गंगे— यह क्रम चला है। जो स्टेट्स के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड्स हैं, सेंटर का प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उनके पास अपनी पॉवर्स हैं। उन पॉवर्स के अंतर्गत दंड के भी प्रावधान हैं और आर्थिक हरजाने के भी प्रावधान हैं। अभी कुछ इंडस्ट्रीज पर आर्थिक हरजाने लगे हैं, लेकिन दंड के प्रावधान पूरी तरह से किसी के ऊपर भी लागू नहीं हो पाए हैं। महोदय, इन 29 सालों में गंगा और उसकी दो मुख्य सहयोगी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी तक की जो स्थिति है, वह गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के मामले में संतोषजनक नहीं है और माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह सच्चाई है कि हमें कठोर दंड के प्रावधान तय करने होंगे और अभी जैसा मैंने निवेदन किया 31 अप्रैल तक पर्यावरण मंत्रालय के अधीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में 4 मार्च को एक बैठक हुई थी और 31 अप्रैल तक दिशा-निर्देश तय कर जारी हो जाएंगे और 2016 तक वे सारी औद्योगिक इकाइयां जो गंगा और उसकी सहयोगी नदियों को प्रदूषित कर रही हैं, उन्हें या तो अपने को सुधारना पड़ेगा अन्यथा वे इकाइयां बंद कर दी जाएंगी ।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मेरा मंत्री से सवाल है कि मेडिकल कॉलेजेज से जुड़े हुए क्लिनिक्स और बड़े-बड़े अस्पताल अपना कचरा गंगा के अंदर बहाते हैं, लेकिन उनके मेडिकल वेस्ट्स कहीं भी डिकम्पोज नहीं होते। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इस सम्बंध में आपकी क्या योजना है?

सुश्री उमा भारती : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने एक विषय विशेष पर बात की है, जिस पर मैंने संपूर्णतः कहा है कि हमारा लक्ष्य, फेज-I में 2 साल, फेज़-II पर 4 साल और अधिकतम 10 साल है, जिसमें गंगा में जाने वाले सभी प्रकार के प्रदूषणों के या तो संशोधन होंगे

और उनका संशोधित जल ही जा सकेगा अन्यथा उन इकाइयों को, जो प्रदूषित करती हैं, बंद करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे।

माननीय सदस्या ने एक पर्टिकुलर विषय मेडिकल कॉलेजेज द्वारा फेंके जाने वाले कचरे के बारे में बात कही है, अब मैं उस पर्टिकुलर विषय का तुरंत जवाब देने में अक्षम हूं, लेकिन मैं उनकी चिंता से अवगत हूं और अगर वे इस विषय में कुछ और जानकारी चाहेंगी और अगर किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में उनके मन में कोई सवाल है, तो मैं उन्हें बाद में जवाब दे सकती हूं। Thank you.

*182. [*The questioner* (DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU) *was absent*]

Nirmal Bharat Abhiyan in Jharkhand

*182. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) whether Government has undertaken any programmes under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) in Jharkhand;

(b) if so, the details thereof;

(c) the quantum of funds earmarked therefor and the funds released so far; and

(d) whether the Jharkhand Government has recommended any programmes to be taken up under NBA, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) was implemented with effect from 1.04.2012 to 1.10.2014. The programme was under implementation in Jharkhand as well. The achievement in construction of Individual household latrines, School and anganwadi toilets and Community Sanitary Complex under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) is as under :—

Year	IHHLs	School toilets	Anganwadi toilets	Community Sanitary Complex
2012-13	48500	613	684	43
2013-14	76818	682	163	42
2014-15 (Upto 1st Oct., 2014)	30212	350	130	15